



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262742  
CG-DL-E-28042025-262742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1872]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947

No. 1872]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

का.आ. 1914(अ).— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उपनियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अन्य संशोधन करती है नामत:-

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में, उपशीर्षक "डिग्री" के अन्तर्गत, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बन्धित क्रम संख्या 75 के समक्ष, मद (ix) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय या पशुचिकित्सा संस्थान	मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
"(x) सौरभ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, खेड़ा, हिंडौन सिटी, करौली (राजस्थान)	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक [यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब यह दिनांक 20.07.2027 को या उसके बाद प्रदान की जाएगी]

[फा. सं. के-2021-9-सौरभ महाविद्यालय]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

**नोट:** भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची को अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II —खण्ड 3—उप-खण्ड —ii में दिनांक 17 जनवरी, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 322(अ), द्वारा संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

**S.O. 1914(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, against serial number 75, relating to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner after item (ix) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: -

University or Veterinary Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
"(x) Shourabh College of Veterinary & Animal Sciences, Kheda, Hindaun City, Karauli (Rajasthan)	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. [This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20.07.2027”]

[F. No. K-2021-9-Sourabh College]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

**Note:** The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was lastly amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 322(E), dated 17<sup>th</sup> January, 2025